रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2021–23

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गजट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

नोट–इस अंक में 1 पेज स्पेशल पेजेस के नाम से अलग से है। सम्पादक

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215, 9415074806, 9415486103

वर्ष – 44 ● अंक – 7 ● कानपुर 1 से 15 अप्रैल 2022 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

माँ सरजू देवी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट लखीमपुर में वार्षिकोत्सव सम्पन्न

लखीमपुर – माँ सरजू देवी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट लखीमपुर में बड़े धूमधाम से वार्षिकोत्सव एवं इन्सटीट्यूट के संस्थापक शहीद पन्नालाल शर्मा का जन्मदिवस मनाया गया, कार्यक्रम का शुभारम्भ आयोजन की मुख्य अतिथि श्री मती निरूपमा बाजपेई, नगरपालिका अध्यक्ष लखीमपुर एवं श्री मिथलेश कुमार मिश्रा संयुक्त सचिव इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने दीप प्रज्जवलित करके किया तत्पश्चात डा0 मैटी के चित्र पर माल्यापर्ण किया गया। इस अवसर पर इन्सटीट्यूट के प्राचार्य ने अपना विचार देते हुए कहा कि मैटी एक महात्मा और युग पुरूष थे जिन्होंने समाज और देश के लिए सदैव अपने को न्यौछावर किया वह एक मसीहा थे और आज भी हम लोगों के लिए पूज्यनीय हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सम्बन्ध में बताया कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लाम्बित अवमाननावाद संख्या 820/2002 श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0पी0वर्मा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में पारित दिनांक 28–1–2004 के आदेश के अनुसार प्रदेश में डिग्री/प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्थाओं का पंजीयन शासन में होना आवश्यक है इस हेतु 30 अप्रैल, 2004 की समय सीमा निर्धारित थी।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा इसके अनुपालन में एक रिट याचिका संख्या 10404/2004 माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में योजित की गयी थी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 15 मार्च, 2004 के निर्देशित आदेशानुसार दिनांक 20 मार्च, 2004 को प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

डा0 शर्मा ने बताया कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 एक मात्र संस्था है जिसने शासन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उन्होंने यह भी बताया कि अभी प्रतिवेदन लाम्बित ही था कि इस बीच प्रदेश की दर्जनों संस्थाओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिकायें योजित की गयी थीं जो सभी निरस्त हो गयीं। बोर्ड के प्रतिवेदन में शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर बोर्ड ने एक बार फिर माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका सं0 4688 योजित की जिसमें दिनांक 18–5–2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 8 हफ्ते में प्रतिवेदन के निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गये जिसके परिणाम स्वरूप 4 जनवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती निरूपमा बाजपेई जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि इस इन्सटीट्यूट को वह बहुत दिनों से जानती हैं, यह इन्सटीट्यूट लगातार लखीमपुर में अपनी सेवायें दे रहा है, मैं इस इन्सटीट्यूट के प्राचार्य का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में बुलाकर मेरा सम्मान किया हम आप सबको इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनायें व्यक्त करते हैं।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के संयुक्त सचिव श्री मिथलेश कुमार मिश्रा ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि वह सर्वप्रथम माँ सरजू देवी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट, लखीमपुर के संस्थापक शहीद पन्नालाल शर्मा जी को नमन करते हैं जिन्होंने इस इन्सटीट्यूट की स्थापना की थी, साथ ही इस इन्सटीट्यूट के प्राचार्य श्री राकेश शर्मा जी को आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमें विशिष्ट अतिथि बनाकर गौरवान्वित किया।

श्री मिश्रा ने बताया कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 एक मात्र ऐसी संस्था है जिसे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासकीय आदेश प्राप्त है जिसके अनुसार बोर्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास का कार्य निरन्तर कर रहा है, उन्होंने बताया कि शासन द्वारा दिनांक 4 जनवरी, 2012 को जो आदेश जारी किया गया था उसके क्रियान्वयन हेतु

शेष पेज 4 पर

माँ सरजू देवी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट, लखीमपुर के कार्यक्रम की प्रमुख झलकियाँ

- मचं की साज सज्जा आकर्षक एवं मन को मोह लेने वालीथी
- आकर्षण का केन्द्र बिन्दु था स्टेज का बैनर जिसपर विभिन्न कोर्सों के नाम एवं अवधि को बड़े ही सुन्दर ढंग से सेट किया गया था
- वक्ता अधिक थे परन्तु समय कम होने के कारण अनेक वक्ता छूट गये
- कूल मिलाकर कार्यक्रम अपने आप में सफल व सराहनीय रहा

मंच पर बायें से दायें श्रीमती संजीता शर्मा (प्रबंधक), श्रीमती निरुपमा बाजपेई (अध्यक्ष नगर पालिका परिषद लखीमपुर, श्री मिथलेश कुमार मिश्रा (संयुक्त सचिव इहमाई), एडवोकेट श्री राम प्रकाश मिश्रा (उपाध्यक्ष) एवं श्री विनोद कुमार पूर्व प्रबंधक–आर्यावर्त ग्रामीण बैंक को बैज लगाते डा0 मुजीत कुमार –छाया गज़ट

शोक समाचार

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य व आशीष इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट के प्राचार्य डा0 पी0 एन0 कुशवाहा के ज्येष्ठ पुत्र डा0 आशीष कुशवाहा का आकस्मिक निधन दनांक 28 मार्च, 2022 को हो गया वे 28 वर्ष के युवा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक थे।

विदित हो कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की बैठक दिनांक 30 मार्च को थी जिसे रजिस्ट्रार महोदय ने अगले आदेश तक रद्द कर दिया है।

यह शोकाकुल समाचार सुनने के बाद सभी सुनने वाले का हृदय द्रवित हो गया, बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र एवं गजट परिवार संकट की इस बेला पर शोकग्रस्त परिवार को धैर्य एवं मृत आत्मा की शान्ती हेतु परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है।
सम्पादक

अब आवश्यकता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अनुसंधान की

U.G.C. के नये निर्देशों से प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकता B.E.M.S. पाठ्यक्रम क्योंकि U.G.C. ने देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने पाठ्यक्रमों के नामों व अवधि में एकरुपता लायें इसके लिये U.G.C. ने शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी निर्देश जारी कर दिये हैं कि वे अपने राज्यों में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करायें जिससे छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

U.G.C. के इन निर्देशों का प्रभाव इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थाओं पर सीधे-सीधे पड़ सकता है क्योंकि देश की अधिकांश संस्थायें राज्यों के स्वास्थ्य विभाग में न तो पंजीकृत हैं और न ही अनुमति प्राप्त, इन संस्थाओं द्वारा संचालित कोर्सों एवं अवधियों में भी एकरुपता का अभाव है यह कहीं पर बैचलर और कहीं बेसिक जैसे शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं और संक्षेप में B.E.M.S. लिखते हैं कहने का तात्पर्य यह है कि एक B.E.M.S. का रुपान्तरण समय-समय पर आवश्यकतानुसार बदला करता है जो जहां फिट बैठे वहां फिट कर दो वाली पद्धति पर चल रहे हैं।

U.G.C. के नये निर्देशों के तहत यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति को विवादित की श्रेणी में ला सकते हैं जबकि U.G.C. से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का दूर-दूर तक कोई सम्बंध ही नहीं है, यह उसी प्रकार विवादित हो सकती है जैसे किसी संस्था ने अपने नाम के साथ विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग कर लिया हो और वह संस्था अकारण विवादित हो गयी हो B.E.M.S. भी इसी प्रकार प्रभावित हो सकती है इस विषय पर एक मात्र मार्ग है कि हम विवादों से खुद भी बचें एवं दूसरों को भी विवादित होने से बचायें।

हम खूब शोर मचाते हैं कि हमने यह किया वह किया परन्तु जब साक्ष्य मांगा जाता है तो बगलें झांकने लगते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिये अनेक अधिकार तो हमें सरकार की ओर से पहले ही प्राप्त हैं जिसके द्वारा हम अनुसंधान के माध्यम से वह सबकुछ सरकार को उपलब्ध करा सकते हैं जो उसके द्वारा वांछित है, वास्तविकता तो यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वास्तविक विकास अनुसंधानों से ही सम्भव है, यदि हम इस दिशा में कार्य करते हैं तो जहाँ एक ओर जनमानस को लाभांवित कर सकते हैं वहीं दूसरी ओर शिक्षा की उस धारा में सम्मिलित हो सकते हैं जहां शिक्षा के मूल्यांकन की व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है अर्थात इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पाठ्यक्रमों का वर्गीकरण सहजता से करा सकते हैं।

जब हमें अनुसंधान के अवसर सरकार द्वारा दिये जा चुके हैं तो हम क्यों न अनुसंधान के माध्यम से नये कीर्तिमान स्थापित करें और सरकार को मजबूर कर दें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी वह दम-खम है जो अन्य चिकित्सा पद्धतियों में है, आप आपना थोड़ा सा समय प्रतिदिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अर्पित कर एक नई खोज में यदि लगाते हैं तो निःसन्देह वह दिन दूर नहीं होगा जब आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डंका पिटवा सकते हैं, इसके लिये आवश्यक है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा एवं चिकित्सा की गुणवत्ता बनाये रखें, गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता न करें यदि ऐसा नहीं होगा तो आप एक बार फिर असफल हो सकते हैं, जिस प्रकार अन्तर विभागीय समिति के समक्ष उपस्थित दावेदार अपने दावों को सफलतापूवर्क नहीं रख पा रहे हैं।

देश के अनेक राज्यों में सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका कल्याण वाली सरकारें हैं, सरकारों के यह स्लोगन वास्तव में यथार्त हैं यदि हम इस मार्ग को अपना लें तो निसंदेह हमें सफलता का वह गुप्त मार्ग मिल सकता है जिसके लिये हम भटक रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में अब तो एक कैबिनेट मंत्री भी आ चुके हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक भी हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति वह पद्धति है जिसके लिये कहा जाता है कि इसको जिसने भी हृदय से अपनाया वह कभी भी असफल नहीं हुआ, इतिहास साक्षी है आप पुराना इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इतिहास देखें आज से 40-50 वर्ष पहले जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी से तनिक भी जुड़े थे वे भले ही हमारे बीच न हों परन्तु उनके द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति जो त्याग, प्रेम एवं मानवता की सेवा की गयी वह आज भी जीवन्त है।

अन्त में हम यही अपेक्षा करेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थायें U.G.C. के निर्देशों के अनुसार आचरण करेंगी।

यह है माननीय उच्च न्यायालय का वह आदेश जिसके प्रकोप से बड़ी बड़ी संस्थायें भी नहीं बच सकीं

WP No. 3992 (MB) 04

Electro Homeopathic Medical Association vs State of U.P. & Ors

Hon'ble Pradeep Kant, J.
Hon'ble Y.R. Tripathi, J.

Heard Sri M. A. Siddiqui learned counsel for the petitioner, Sri Sudheer Pandey appearing on behalf of opposite parties 1 to 4 and Smt. Yogita Chandra putting in appearance for opposite party no. 5.

While opposing the writ petition, the learned counsel for the opposite parties submitted that the Electro Homeopathic has not been recognised as a general medical science and in view of the decision of the constituted committee appointed by the Central Government, the petitioner or Electro Homeopathic persons cannot be allowed to practice the said discipline. Reliance has been placed upon the judgment of this Court in the case of *Electro Homeopathic Practitioners Association of India & others Vs. A. P. Verma, Chief Secretary, Government of U.P. & others* reported in 2004 (55) Allahabad Law Reports 800 in which the controversy has been decided against the petitioner.

The learned counsel for the petitioner prays for short time for studying the matter further.

List in the next week.

25.08.2004
CH/(WP3992/04)

Sd/- Pradeep Kant
Sd/- Y. R. Tripathi
25/8/04

TRUE COPY
Section Officer
Copying Department
(Pending)
High Court Lucknow Bench
Lucknow

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया ने अपनी कुशल रणनीति का कौशल दिखाते हुये सुनवायी हेतु एक अवसर और क्या प्राप्त किया जिससे सारा का सारा दृष्य ही बदल गया

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा हाई कोर्ट के आदेश दिनांक 11–10–2010 के अनुपालन में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया को चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु जारी प्रथम आदेश

No.C.30011/22/2010-HR
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
(Department of Health Research)

Nirman Bhawan, New Delhi;
Dated: 21.06.2011.

ORDER

Subject:- Regarding practice, education and research in alternative system of medicine

An order was passed on 11.10.2010 by the Lucknow Bench of the Hon. High Court of Judicature at Allahabad in the WP No.3992/2004 filed before the Hon. High Court of Judicature at Allahabad at Lucknow Bench, in Electro Homeo Medical Association of India vs. State of UP & 4 Ors. as under:

Heard Learned counsel for the parties and perused the record.

With regard to it' grievance, the petitioner may make a representation within a month from today in the Light of the Government Order dated 5.5.2010 (No.V.25011/276/2009-HR) issued by the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare Department of Health Research.

If the representation made by the petitioner within the aforesaid period, the same shall be decided by the Government of India within three months from the date of its filing.

With above observation, the writ petition is finally disposed of."

2. Consequently, in accordance with the said order, Sh. Taj Ali, Secretary, Electro Homeo Medical Association of India, Lucknow has filed a representation in the matter vide his letter dated 03.11.2010 in which he has made the following submissions and prayer:-

That the order dated 25.11.2003 addressed to different officials and copies sent, however, to all their subordinates was mis-interpreted as if the Government of India has altogether prohibited the development and research of Electropathy, however the order dated 05.05.2010 has clarified that there is no proposal to stop the petitioner from practicing in electropathy or imparting education as long as this is done within the parameters of the order dated 25.11.2003 and once the legislation to recognize new system of medicine is enacted any practice or education would be regulated in accordance with the said Act.

On the basis of the order dated 25.11.2003 different authorities issued preventive orders as if there can be no teaching or practice in Electropathy/Electro Homoeopathy at all and that forced the applicant to file the above noted writ petition in the Hon'ble High Court Allhabad, Lucknow Bench, Lucknow. However in the meantime the order dated 05.05.2010 has clarified the position and the Hon'ble Division Bench in the light thereof has opined that now no detailed order is required to be passed and the petitioner may make the representation to the Government of India and Government of India may pass the order in the light of the order dated 05.05.2010.

It is, therefore, respectfully prayed that the authorities to whom the order No.R.14015/25/96-U&H(R)(Pt.) dated 25.11.2003 was issued, may kindly be communi-

2/-

cated to read the order in the light of the Government of India later order dated 05.05.2010 and act only in accordance with the same and may not cause any interference in contravention of the same."

3. As per the directions of the Hon. Lucknow Bench of the High Court of Judicature at Allahabad, the representation has been considered. It is clarified that the MH&FW Order No.R.14015/25/96-U&H(R)(Pt.) dated 25.11.2003 and No.V.25011/276/2009-HR dated 05.05.2010 would be treated as instructions of the Government of India related to practice, education and research with regard to alternative systems of medicine like electropathy, electro-homoeopathy, etc.

4. A copy of each of the said two orders viz. MH&FW Order No.R.14015/25/96-U&H(R)(Pt.) dated 25.11.2003 and No. V.25011/276/2009-HR dated 05.05.2010 is being forwarded herewith to each of the State Governments/UTs for information and necessary action. With this your representation is disposed off.

5. This issues with the approval of Secretary (Department of Health Research), Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi.

(J. P. Mehta)
Director (HR)

To,

All Health Secretaries of State Governments/Union Territory Administrations.

Copy to:

1. Sh. Taj Ali, Secretary, Electro Homeo Medical Association of India, 8 - Lal Bagh, Lucknow – 226001 (Uttar Pradesh).

2. The Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

Court No. - 28

Case :- MISC. BENCH No. - 3992 of 2004

Petitioner :- Electro Homeo.Medical Association Of India Thru State Secy.
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy. & 4 Ors.
Petitioner Counsel :- M.A. Siddiqui
Respondent Counsel :- C.S.C.,Deepak Seth,Sudhir Pandey,Yogeeta Chandra

Hon'ble Prakash Chandra Verma,J.
Hon'ble S.N.H. Zaidi,J.

Heard learned counsel for the parties and perused the record.

With regard to its grievance, the petitioner may make a representation within a month from today in the light of the Government Order dated 5.5.2010 (No. V 25011/276/2009-HR) issued by the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare Department of Health Research.

If the representation is made by the petitioner within the aforesaid period, the same shall be decided by the Government of India within three months from the date of its filing.

With the above observation, the writ petition is finally disposed of.

Order Date :- 11.10.2010
Mnk

Sd- Prakash Chandra Verma
Sd- S.N.H. Zaidi
11-10-2010

09-11-2010

Section Officer
Copying Department
High Court, Lucknow Bench

आशीष इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट के वरिष्ठ चिकित्सकों ने 5 दिवसीय निःशुल्क कैम्प में देखे अनेक रोगी एवं किया उपचार

माँ सरजू देवी इलेक्ट्रो .... प्रथम पेज से आगे

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें ,उ0प्र0 ने ने भी क्रमशः 2 सितम्बर, 2013 एवं 14 मार्च, 2016 ने भी समस्त मण्डलीय अपर निदेशकों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि शासकीय आदेश का अनुपालन किया जाये, उपरोक्त आदेशों से स्पष्ट हो जाता है कि आप लोग अधिकार पूर्वक काम करें अब कार्य करने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है।

श्री मिश्रा ने यह भी कहा कि आप लोग अपना कोर्स पूरा करके बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रेशन कराकर अपने जनपद के जिला प्रभारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, लखीमपुर श्री अमित विश्वकर्मा से प्रमाणपत्र जारी कराकर विधि सम्मत तरीके से प्रैक्टिस करें यदि किसी को कोई समस्या हो तो वह बोर्ड के सक्षम अधिकारियों को अवगत करायें उनकी समस्या का तत्काल निवारण किया जायेगा।

कार्यक्रम को जिला प्रभारी इलेक्ट्रो होम्पैथिक, लखीमपुर श्री अमित विश्वकर्मा ने भी सम्बोधित किया। श्री विश्वकर्मा ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक डा0 काउण्ट सीजर मैटी के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया, इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डा0 गोपाल कृष्ण पाण्डेय,विनय कुमार सिंह एडवोकेट,श्री राम प्रकाश मिश्र एडवोकेट,श्रीमती संजीता शर्मा,श्री राम नरेश मिश्र,विनोद कुमार,मंजीत कुमार आदि ने अपने विचार व्यक्त किये।

कार्यक्रम में गुरूमीत कौर,किरन गुप्ता,दुर्गेश नन्दनी,सुरूचि गर्ग,रूबी नाज,मीरा मिश्रा,अशिखा गुप्ता,निशात अफरोज,अनुज कुमार,नितिन कुमारी,उत्कर्ष शर्मा,श्याम जी गुप्ता,राधिका मिश्रा,शौर्या सिंह,प्रगति मिश्रा,मो0 अरशद अली,सौम्या शर्मा,पुष्पेन्द्र कुमार वर्मा,प्रवेश शर्मा,अयशा शेख,आजद अहमद,मंप्रीत कौर,मो0 हसन अली आदि छात्रों को सम्मानित किया गया इस अवसर पर डा0 विनोद कुमार मौर्या,डा0घनश्याम,डा0 अमित विश्वकर्मा,डा0 शालिनी श्रीवास्तव,डा0 रूबिया बानो,डा0पवन शुक्ला,डा0 सत्य प्रकाश मिश्रा,डा0 अब्दुल अन्सारी,डा0 अर्चना विश्वकर्मा,डा राम कुमार प्रथम एवं डा0 राम कुमार द्वितीय को भी सम्मानित किया। इसके साथ ही छात्रों के अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया।

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।

माँ सरजू देवी इलेक्ट्रो ..... कार्यक्रम कैमरे की नज़र में